सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 05, सोमवार, *शाके* 1947- मई 26, 2025 *Jyaistha 05, Monday, Saka 1947- May 26, 2025*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 26, 2025

जी.एस.आर.98 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 22.01.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 22, 2025

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम,2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 36 का संशोधन.-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 36 के उप-नियम (3) में, विद्यमान खण्ड (च) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (छ) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (चच) अंत:स्थापित किया जायेगा,अर्थात्:-

"(चच) कोई शर्त, जोसंविदाकार/अनुमोदित बोली लगाने वाले द्वारा, उपापन संस्था के किसी पूर्व अनुमोदन के बिना, क्यू-रेटेड स्कोर स्टार्टपों को, मूल संविदा मूल्य के अधिकतम बीस प्रतिशत के अध्यधीन रहते हुए नीचे यथा वर्णित सीमा तक, केवल एक उप-संविदा/उप-किरायेदारी पर दिया जाना अनुज्ञात करती है,-

(क)	ब्रोंज क्यू-रेटेड स्कोर के साथ स्टार्टअप के लिए:	प्रत्येक मामले में 1 करोड़ रुपये तक।
(ख)	सिल्वर क्यू-रेटेड स्कोर के साथ स्टार्टअप के लिए:	प्रत्येक मामले में 2 करोड़ रुपये तक।
(ग)	गोल्ड क्यू-रेटेड स्कोर के साथ स्टार्टअप के लिए:	प्रत्येक मामले में 5 करोड़ रुपये तक।
(घ)	प्लैटिनम/सिग्नेचर क्यू-रेटेड स्कोर के साथ स्टार्टअप के लिए:	प्रत्येक मामले में 10 करोड़ रुपये तक।

"

[एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]
राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.